म.प्र. उत्कृष्टता मिशन छात्रवृत्ति पैकेज का विवरण

- छात्रवृत्ति **का लाभ प्रथम वर्ष से 5 निरंतर वर्ष के लिए रहेगा**
- कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययन के दौरान रू. 1000 ⁄ प्रतिमाह छात्रवृति देय हो
- कक्षा 11 के विद्यार्थियों को कक्षा 12 में अध्ययन के दौरान रू. 1000 ⁄ – प्रतिमाह छात्रवृति देय होगी।
- चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 के उत्तीर्ण करने उपरान्त विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा में आगामी अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति 1000 ⁄ – प्रतिमाह प्रदान की जायेगी।
- **विद्‌यालय स्तर पर** अध्ययन **मध्य प्रदेश के शाला मे निरंतर होना अनिवार्य है** ।
- छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को अगली **वार्षिक** ⁄**सेमिस्टर** परीक्षा में प्रथम श्रेणी **मे उतिर्ण होना** अनिवार्य है अन्यथा इस छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
- **चयनित विद्‌यार्थी को निरंतर नियमित विध्यार्थी के रूप मे** अध्ययन **करना होगा** अध्ययन **मे अंतराल / ब्रेक होने पर** छात्रवृत्ति **योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा** ।
- विद्यार्थियों को अंकसूची की छायाप्रति, **एवं प्रीरिसीप्ट** विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित अंकसूची की छायाप्रति, **प्रस्तुत करना** आवश्यक है ।
- इसके अतिरिक्त चयनित विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधित ओलम्पियाड व अन्य विज्ञान से संबंधित गतिविधियों के लिये रू. 1000 ⁄ – **अनुदान मूल देयकों के प्रस्तुत करने एवं पूर्व सूचना देने पर देय होगा**।जिसकी पुष्टि विद्यालय के प्रार्चाय द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है, एवं परिषद से अनुमति उपरांत ही मान्य होगा। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक **है** ।
- **प्रत्येक** चयनित विद्यार्थियों को **प्रतिवर्ष अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना होगा की उन्हे अन्य किसी स्त्रोत से कोई** छात्रवृत्ति **प्राप्त नहीं हो रही है । अन्य किसी स्त्रोत से** छात्रवृत्ति **प्राप्त होने की स्थिति मे विज्ञान मंथन** छात्रवृत्ति **देय नहीं होगी** ।
- **प्रतिवर्ष** छात्रवृत्ति **नवीनीकरण का दायित्व विध्यार्थी के स्वयं का होगा जिसके लिए उसे वांछित प्रमाण पत्र** एवं **दस्तावेज़ समय पर प्रस्तुत करने होंगे** ।
- छात्रवृति हेतु **पत्राचार के लिए** चयनित **विध्यार्थी अपनी स्कॉलर्शिप आईड से पत्राचार करे**
- छात्रवृत्ति **हेतु दूसरी** च्ल्त्म्बम्प्च्ञ **तथा उसके आगे की परिषद की वैबसाइट से विध्यार्थी** क्ॅछस्‌।क **करके भेजे** ।
- छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्‌ का रहेगा।

नोट: छात्रवृत्ति **प्रत्येक वित्तीयवर्ष मे दो किस्तों मे (अवधिपूर्ण होने पर) प्रदाय की जावेगी जुलाई से दिसम्बर एवं जनवरी से जून** ।